

1 दिसंबर से बदल गए ये 5 बड़े नियम! गैस, टैक्स और हवाई सफर पर असर

वर्षिय सूची (Table of Contents):

- >> 1 दिसंबर से बदल गए ये जरूरी नियम आम आदमी की जेब पर सीधा असर...
- >> प्रमुख बदलावों पर एक नज़र...
- >> कमर्शियल एलपीजी गैस सिलिंडर 10 रुपये सस्ता जाने आपके शहर में क्या है नए रेट...
- >> घरेलू उपभोक्ताओं को नरिशा...
- >> मेट्रो शहरों में नए दाम की सूची (List)...
- >> एविएशन फ्यूल (ATF) के दाम में इजाफा अब हवाई सफर के लिए चुकानी होगी ज्यादा कीमत...
- >> हवाई टिकट क्यों हो सकते हैं महंगे?...
- >> पैन-आधार लकि करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से पहले नहीं किया ये काम तो पैन होगा...
- >> लकि न करने पर होने वाले नुकसान...
- >> ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करें (How to Apply Online Status Check)...
- >> आईटीआर (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए 10 दिसंबर है ...
- >> कनि लोगों के लिए जरूरी है यह तारीख?...
- >> लेट फीस के साथ टैक्स रट्टिन भरने का नियम जाने चूकने पर कतिना लगेगा जुर्माना...
- >> जुर्माने की दरें और नियम...
- >> आरबीआई (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक क्या इस महीने कम होगा रेपो रेट और घटेगी ईएम...
- >> ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद...
- >> आम जनता को क्या होगा फायदा?...
- >> नष्टिकर्ष...
- >> आपके सवाल, हमारे जवाब...

साल का आखिरी महीना यानी 1 दिसंबर शुरू हो चुका है और इसी के साथ देश में कई बड़े वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव भी लागू हो गए हैं। इन नए नियमों का सीधा असर आम जनता की जेब, बजट और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। सरकारी तेल कंपनियों से लेकर आयकर विभाग (Income Tax Department) तक ने अपनी नई गाइडलाइन्स और डेडलाइन जारी कर दी हैं।

यदि आप समय रहते इन बदलावों के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको 1 दिसंबर से बदलने वाले सभी नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे, ताकि आप अपने वित्तीय कार्यों को बिना किसी परेशानी के समय पर पूरा कर सकें। सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए आप मोदी की 10 सुपर योजनाएं जो बदल देंगी लाखों की कस्मिंत अभी पढ़ें! पर जा सकते हैं।

1 दिसंबर से बदल गए ये जरूरी नियम: आम आदमी की जेब पर सीधा असर

हर महीने की पहली तारीख को देश में कई कमरशयिल और रेगुलेटरी बदलाव होते हैं। इस बार भी बैंकगि, टैक्स और ईंधन की कीमतों से जुड़े कई नयिम बदल गए हैं। इन बदलावों से कहीं राहत मिली है तो कहीं आम आदमी पर वृत्तीय बोझ बढ़ने की आशंका है।

प्रमुख बदलावों पर एक नज़र

- >> कमरशयिल रसोई गैस सलंडर के दामों में बड़ी कटौती की गई है।
- >> हवाई ईंधन महंगा होने से वमिान यात्रा के कशिए बढ़ने की उम्मीद है।
- >> पैन और आधार कार्ड को लकि (PAN-Aadhaar Link status check) करने की आखरि तारीख नजदीक आ गई है।
- >> छोटे व्यापारियों के लए आयकर रट्टिन (ITR filing latest update) जमा करने की समयसीमा तय हो चुकी है।

कमरशयिल एलपीजी गैस सलंडर 10 रुपये सस्ता: जाने आपके शहर म

दसंबर के पहले ही दनि तेल कंपनयिों ने उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत दी है। कमरशयिल एलपीजी गैस सलंडर (LPG Cylinder Price Drop) की कीमतों में 10 रुपये की कटौती की घोषणा की गई है। यह लगातार दूसरा महीना है जब व्यापारकि इस्तेमाल वाले सलंडरों के दाम कम कए गए हैं।

घरेलू उपभोक्ताओं को नरिशा

हालांकि, इस कटौती का फायदा केवल कमरशयिल सलंडर इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों, रेस्टोरेट और होटलों को ही मलगा। घरेलू रसोई गैस सलंडर (14.2 कलोग्राम) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं कया गया है, जससे घरेलू बजट पर कोई नया असर नहीं पड़ेगा।

मेट्रो शहरों में नए दाम की सूची (List)

- >> दल्लिी: 19 कलोग्राम वाले कमरशयिल सलंडर की कीमत 1590.50 रुपये से घटकर अब 1580.50 रुपये हो गई है।
- >> मुंबई, कोलकाता और चेन्नई: इन शहरों में भी तेल कंपनयिों ने अनुपातकि आधार पर कीमतों में सुधार कया है, जसका नया रेट कार्ड आधिकारकि वेबसाइट पर उपलब्ध है।

एवएशन फ्यूल (ATF) के दाम में इजाफा: अब हवाई सफर के लए चुका

एक तरफ जहां कमर्शियल गैस सस्ती हुई है, वहीं दूसरी तरफ हवाई सफर करने वाले यात्रियों को बड़ा झटका लग सकता है। तेल वपिणन कंपनियों ने वमिान ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल (IOCL) ने इसके नए रेट जारी किए हैं।

हवाई टिकट क्यों हो सकते हैं महंगे?

किसी भी एयरलाइन कंपनी के कुल परचालन खर्च में लगभग 40% हसिसेदारी हवाई ईंधन (ATF) की होती है। ईंधन के दाम बढ़ने से एयरलाइंस कंपनियों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, जिसकी भरपाई वे यात्रियों के हवाई टिकट के दाम बढ़ाकर कर सकती है।

आने वाले दिनों में यदि आप किसी लंबी यात्रा या छुट्टियों की योजना बना रहे हैं, तो आपको एडवांस बुकिंग कर लेनी चाहिए। छुट्टियों की बेहतर प्लानिंग के लिए आप अप्रैल 2026 की छुट्टियों की पूरी लिस्ट: त्योहारों और छुट्टियों का कैलेंडर देखें देख सकते हैं।

पैन-आधार लकि करने की अंतिम तारीख: 31 दिसंबर से पहले नहीं क

आयकर वमिाग ने पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को आपस में लकि करने की अंतिम समयसीमा 31 दिसंबर नरिधारति की है। यदि आप इस तारीख तक अपने दोनों दस्तावेजों को लकि नहीं करते हैं, तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) पूरी तरह से नरिष्क्रयि (Inoperative) घोषति कर दिया जाएगा।

लकि न करने पर होने वाले नुकसान

- >> बैंकिंग सेवाओं में रुकावट: नया बैंक खाता खोलना, फिक्स्ड डिपॉजिटि (FD) कराना या म्यूचुअल फंड में नरिविश करना असंभव हो जाएगा।
- >> KYC वेरिफिकेशन फेल: किसी भी वरितीय संस्थान में आपका केवाईसी (KYC Check) पूरा नहीं हो जाएगा।
- >> सरकारी योजनाओं का लाभ: कई प्रकार की सरकारी सब्सिडी और वरितीय लाभों पर रोक लग सकती है। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की अधिक जानकारी के लिए भारत में मुफ्त योजनाओं का सूत्रज! जानिए कौन-कौन लोग मलाएंगे 5 लाख तक का इलाचपढ़ें।

ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करें (How to Apply Online Status Ch

नागरकि आयकर वमिाग के आधिकारकि ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर Link Aadhaar Status वकिल्प के माध्यम से अपनी लकिंग स्थति की जांच कर सकते हैं। यदि लकि नहीं है, तो नरिधारति लेट फीस का भुगतान करके तुरंत ऑनलाइन आवेदन (apply online) कर लें।

आईटीआर (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन: कारोबारियों और प्रोफेशनल्स

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के अनुसार, असेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्तीय वर्ष 2024-25) के लिए कुछ खास श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रटिर्न (ITR Filing 2025-26) भरने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर तय की गई है।

कनि लोगों के लिए जरूरी है यह तारीख?

यह डेडलाइन मुख्य रूप से उन छोटे बजिनेस ओनर्स, कंपनियों और प्रोफेशनल्स के लिए है जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से अधिक है और जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इसलिए सभी जरूरी दस्तावेजों की पीडीएफ (PDF) कॉपी तैयार रखें।

लेट फीस के साथ टैक्स रटिर्न भरने का नियम: जाने चूकने पर कति

यदि कोई करदाता 10 दिसंबर की अनिवार्य समयसीमा से चूक जाता है, तो उसके पास बलिटिड रटिर्न (Belated ITR) फाइल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय रहेगा। हालांकि, इस अवधि में रटिर्न फाइल करने पर भारी जुर्माना (Late Fee) देना होगा।

जुर्माने की दरें और नियम

- >> 5 लाख रुपये तक की आय: यदि करदाता की कुल सालाना आय 5 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है, तो उसे 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी।
- >> 5 लाख रुपये से अधिक की आय: जिन नागरिकों की सालाना कमाई 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
- >> इनकम टैक्स नोटिस: 31 दिसंबर के बाद भी रटिर्न न भरने पर आयकर विभाग की ओर से कानूनी नोटिस और दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

आरबीआई (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक: क्या इस महीने कम होगा र

दिसंबर के पहले हफ्ते में ही भारतीय रजिस्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 3 से 5 दिसंबर तक चलने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक पर पूरे देश के मध्यमवर्गीय परिवारों और लोन लेने वालों की नजरें टिकी हुई हैं।

ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद

बाजार विशिष्टों और आर्थिक विश्लेषकों का अनुमान है कि खुदरा महंगाई में नरमी को देखते हुए आरबीआई इस बार रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत (25 बेसिस प्वाइंट) की कटौती कर सकता है। यदि ऐसा होता है, तो वर्तमान रेपो रेट घटकर 5.25 प्रतिशत पर आ जाएगा।

आम जनता को क्या होगा फायदा?

>> सस्ती होम और कार लोन: रेपो रेट घटते ही वाणिज्यिक बैंक भी अपने लोन की ब्याज दरें कम कर देंगे।

>> कम होगी EMI: जिन लोगों का लोन फ्लोटिंग रेट पर चल रहा है, उनकी मासिक ईएमआई (EMI) का बोझ काफी कम हो जाएगा।

नष्कर्ष

1 दिसंबर से लागू हुए ये सभी नयिम इस बात का संकेत हैं कि साल के अंत में आपको अपने वित्तीय प्रबंधन को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा। एलपीजी की घटी कीमतों से जहां कमर्शियल सेक्टर को राहत मिली है, वहीं हवाई सफर महंगा होने की पूरी गुंजाइश है। पैन-आधार लिक और आईटीआर फाइलिंग जैसी महत्वपूर्ण समयसीमाओं को नजरअंदाज करना आपको भारी कानूनी और आर्थिक मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए, आज ही अपने सभी अटके हुए वित्तीय कार्यों की समीक्षा करें और उन्हें समय सीमा के भीतर पूरा करें।

आपके सवाल, हमारे जवाब

तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलिंडर की कीमतों में 10 रुपये की कटौती की है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1580.50 रुपये हो गई है।

नहीं, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलिंडर के दामों में इस महीने कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके रेट पुराने जैसे ही बने हुए हैं।

1 दिसंबर से विमान ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे एयरलाइंस कंपनियों का खर्च बढ़ेगा और वे हवाई किराया बढ़ा सकती हैं।

आयकर विभाग द्वारा पैन-आधार को लिक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है।

निर्धारित तारीख तक लिक न करने पर आपका पैन कार्ड नष्क्रिय (De-activated) हो जाएगा, जिससे बैंकिंग लेन-देन, आईटीआर फाइलिंग और केवाईसी संबंधित कार्यों में रुकावट आएगी।

जिन बिजनेस और प्रोफेशनल्स का सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है और जिन्हें ऑडिट की जरूरत है, उनके लिए बिना लेट फीस ITR फाइल करने

की आखिरी तारीख 10 दिसंबर है।

5 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों के लिए 1,000 रुपये और 5 लाख रुपये से अधिक आय वालों के लिए 5,000 रुपये की लेट फीस लागू होगी।

लेट फीस के साथ आप अपना आयकर रटिर्न अधिकतम 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। इसके बाद फाइल करने पर आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है।

भारतीय रजिस्ट्रार बैंक की एमपीसी (MPC) बैठक 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित की जा रही है, जिसमें ब्याज दरों पर बड़ा फैसला लिया जाएगा।

हां, यदि आरबीआई अपनी बैठक में रेपो रेट में 0.25% की कटौती करता है, तो बैंकों द्वारा लोन की ब्याज दरें घटाने से आपकी लोन EMI कम हो सकती है।